सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023/184(65/2023)   दर्ज तिथिः–15.06.2023

1. अनिता पुत्री उदाराम पत्नी प्रकाश
   जाति हरिज निवासी भीनमाल जिला जालोर
2. शौभा पुत्री उदाराम पत्नी विनोद
   जाति हरिजन निवासी मुंगड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3. सुगणा पुत्री उदाराम पत्नी शम्भूराम
   जाति हरिजन निवासी कारलू तहसील भीनमाल जिला जालोर
4. भरत पुत्र उदाराम
5. महिपाल पुत्र उदाराम
6. जोधाराम पुत्र उदाराम
7. पूजा पुत्री उदाराम
   जाति हरीजन निवासी सिणधरी चौसीरा हाल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..............................वादीगण

बनाम

1. उदाराम पुत्र खगा
   जाति हरीजन निवासी सिणधरी चौसीरा हाल गुड़ामालानी
2. ईसराराम पुत्र मकाराम
3. मोहनलाल पुत्र मकाराम
4. रामाराम पुत्र मकाराम
5. सवाराम पुत्र मकाराम
6. समदा पत्नी लालाराम
7. हरियो पत्नी नरसीराम
   जाति गुरड़ा साकिन सिन्धासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

............................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री हरिश चौधरी
प्रतिवादी संख्याः–श्री डालुराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–10.03.2025

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से है:–
   - कि आराजी खसरा संख्या 1786 रकबा 5.6251 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पूर्वज रावता पुत्र भूपा के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है।
   - कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पूर्वज रावता के दो पुत्र वागाराम पुत्र रावता व खगाराम पुत्र रावता थे। खगा पुत्र रावता के फौत होने पर उनके चार वारिस उदाराम पुत्र खगा, ओमप्रकाश पुत्र खगा, अणदेश पुत्र खगा एवं वासूदेव पुत्र खगा हैं। उदाराम पुत्र खगा के तीन पुत्र भरत पुत्र उदाराम, महिपाल पुत्र उदाराम, जोधा पुत्र उदाराम एवं चार पुत्रियां अनीता पुत्री उदाराम, शौभा पुत्री उदाराम, सुगणा पुत्री उदाराम एवं पूजा पुत्री उदाराम वारिस हैं।
   - कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 अपने पूर्वज रावता पुत्र भूपा एवं खगा पुत्र रावता के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। इस स्थिति में उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 उदाराम पुत्र खगा के 1/4 हिस्से में प्रत्येक वादीगण संख्या 01 से 07 का 1/128–1/128 हिस्सा कानूनन निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

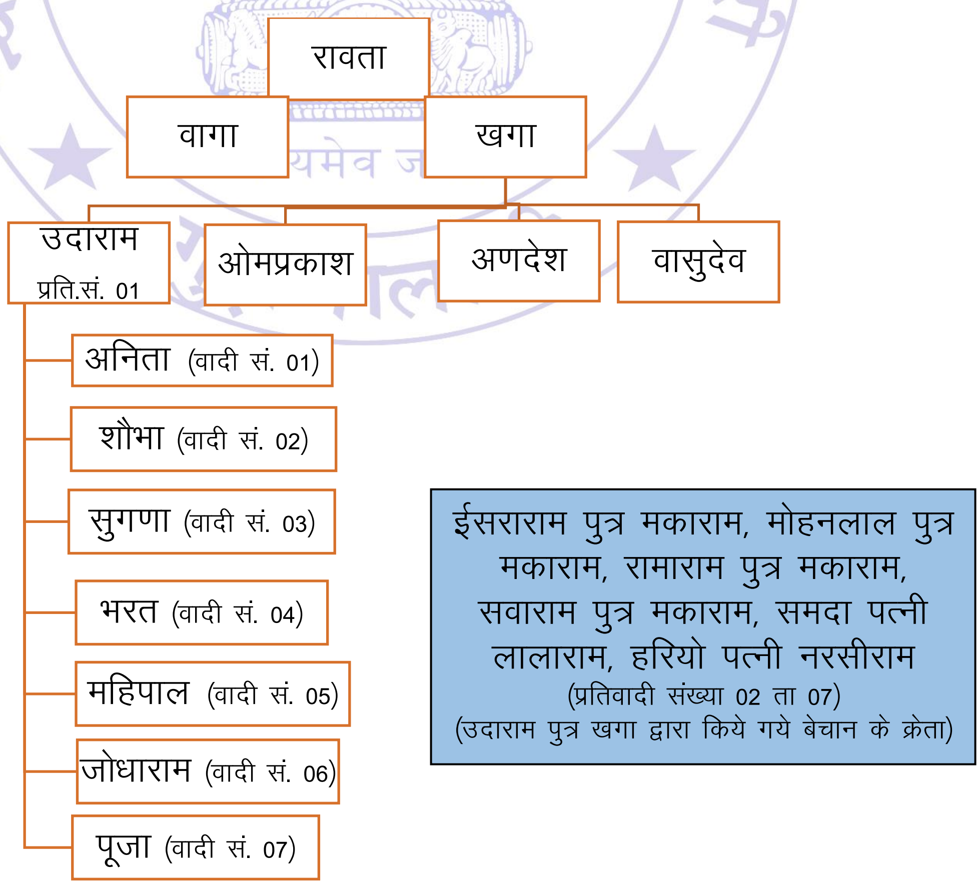

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का 1/6 हिस्सा कानूनन निहित होकर खातेदारी में बदस्तूर दर्ज रिकार्ड जारी है। उक्त हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का मौके पर कब्जा काश्त जारी है।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 08.07.2011 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। उक्त बयनामा दिनांक 08.07.2011 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 08.07.2011 से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 08.07.2011 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस आधार पर वादीगण अपने हिस्से की पैतृक भूमि में घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के अपने पूर्वज रावता के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस कारण उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 08.07.2011 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु आमदा है। प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण अवैध रूप से कब्जा प्राप्ति के कारण प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का कब्जा अतिक्रमण माना जाकर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को अतिक्रमी माना जाएगा।
- कि बयनामा दिनांक 08.07.2011 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 08.07.2011 से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 08.07.2011 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा दिनांक 08.07.2011 के आधार पर फैसल किये गये नामांतरकरण संख्या 2075 दिनांक 20.07.2011 को निरस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतू आमदा है। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के विरूद्ध वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 08.07.2011 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इस कारण प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु आमादा है। इस प्रकार वादीगण को उक्त दावा हेतु बिनायदावा उत्पन्न हुआ है।
- कि वादीगण के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित हैः–
    1. उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 उदाराम पुत्र खगा के 1/4 हिस्से में प्रत्येक वादीगण संख्या 01 से 07 का 1/128–1/128 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।
    2. प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 08.07.2011 वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा दिनांक 08.07.2011 के आधार पर फैसल किये गये नामांतरकरण संख्या 2075 दिनांक 20.07.2011 को निरस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 08.07.2011 का नाम कलमजन किया जावे।
    3. वादीगण के हिस्सों के अतिरिक्त प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिस्से की भूमि का वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या 01 के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के अजनबी क्रेता से पहले खरीदने का अधिकारी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को स्थायी निषेधाज्ञा के मार्फत निर्देश दिया जावे कि प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 उक्त हिस्से की आराजी का बेचान वादीगण के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाये।
    4. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
    5. वादीगण को प्रतिवादीगण से वाद का खर्चा दिलवाया जावें।
    6. अन्य अनुतोष।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 ने वादीगण के दावा का खंडन करते हुए जवाबदावा पेश कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः–
    - कि वादीगण के रावता पुत्र भूपा के वारिस होने की जानकारी नहीं होने के कारण वादीगण का रावता पुत्र भूपा के वारिस का कथन अस्वीकार है। साथ ही उक्त कथन को वादीगण स्वयं साबित करे।
    - कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 08.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष मे किया गया है। उक्त बेचान के आधार पर नांमांतरण संख्या 2075 दिनांक 20.07.2011 को स्वीकृत किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

जाकर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया। तत्समय से प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 मौके पर काबिज काश्त है। इस कारण वादीगण का उक्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं है।

- कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 08.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष मे किया गया है। अपने परिवार के कर्ता होने के तहत प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी आराजी को बेचान करने की विधिक अधिकारिता प्राप्त थी। अपने परिवार के कर्ता होने के तहत प्रतिवादी संख्या 1 को अपने परिवार के हित में समस्त प्रकार के निर्णय लेने का विधिक अधिकार प्राप्त है। उक्त विधिक अधिकारिता के तहत ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को उक्त आराजी का बेचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया है। इस प्रकार उक्त बेचान के विधिसम्मत होने के कारण वादीगण को उक्त बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने का अधिकार नहीं है। क्योकिं हिन्दू सहदायकी के रूप में परिवार के कर्ता द्वारा यदि परिवार के हितों के निमित किसी संपति का बेचान किया जाता है तो उस बेचान को किसी भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने 1/4 हिस्से की भूमि का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बेचान दिनांक 08.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष मे किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को उक्त आराजी का विधिसम्मत बेचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का कब्जा एवं स्वामित्व विधिसम्मत होने के कारण वादीगण को प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का कब्जा हटाने, बेदखल करने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
- कि वादीगण को उदाराम पुत्र खगा के जीवन काल तक मुतनाजा आराजी पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का सहदायी होने का दावा काबिल–ए–खारिज है।
- कि मुतनाजा आराजी की बढती हुई कीमतों के कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी भूमि का बेचान किये जाने के पश्चात येनकेन प्रकरेण मुतनाजा आराजी को वापस प्राप्त करने हेतु स्वार्थपूर्ण तरीके से उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है।
- कि वादी को उक्त दावा लाने का कोई कारण उत्पन्न नही होने के कारण वादीगण का दावा काबिल–ए–खारिज है।
- कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को उक्त आराजी का विधिसम्मत बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। विवादित बेचान बाबत् उक्त अनुतोष पर सिर्फ दीवानी न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस बाबत् राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार व अधिकारिता नहीं है।
- इस प्रकार वादीगण को इस दावा के जरिये किसी भी प्रकार के विधिक अनुतोष या किसी अन्य प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा काबिल–ए–खारिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण से संबंधित प्रकरण संख्या 2022/191 बउनवान राणा बनाम दासा भी समान आराजी व समान पक्षकारान से संबंधित होने के कारण हस्तगत प्रकरण उक्त प्रकरण संख्या 2022/191 के साथ हमफीता किया गया। तत्पश्चात् हस्तगत प्रकरण के साक्ष्य व अग्रिम कार्यवाही उक्त हस्तगत प्रकरण 2022/191 पर की गई। इस आधार पर हस्तगत पत्रावली का निर्णयन उक्त हस्तगत प्रकरण 2022/191 पर की गई कार्यवाही के आधार पर किया जा रहा है। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली वादीगण साक्ष्य में नियत की गई।

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त ग्राम गुड़ा खाता संख्या 362	प्रदर्श—01
जमाबंदी	खाता संख्या 363 सम्वंत 2038—2041	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 162 सम्वंत 2043—2046	प्रदर्श—03
जमाबंदी	खाता संख्या 586 सम्वंत 2031—2034	प्रदर्श—04
जमाबंदी	खाता संख्या 119 सम्वंत 2047—2050	प्रदर्श—05
जमाबंदी	खाता संख्या 338 सम्वंत 2051—2054	प्रदर्श—06
जमाबंदी	खाता संख्या 363 सम्वंत 2043—2047	प्रदर्श—07
जमाबंदी	खाता संख्या 355 सम्वंत 2038—2041	प्रदर्श—08
जमाबंदी	खाता संख्या 08 सम्वंत 2068—2071	प्रदर्श—09
जमाबंदी	खाता संख्या 140 सम्वंत 2059—2062	प्रदर्श—10
जमाबंदी	खाता संख्या 19 सम्वंत 2064—2067	प्रदर्श—11
जमाबंदी	खाता संख्या 563 सम्वंत 2027—2030	प्रदर्श—12
जमाबंदी	खाता संख्या 524 सम्वंत 2019—2021	प्रदर्श—13
जमाबंदी	खाता संख्या 539 सम्वंत 2023—2026	प्रदर्श—14
जमाबंदी	खाता संख्या 224 सम्वंत 2072—2076	प्रदर्श—15
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 703 मौजा गुड़ामालानी	प्रदर्श—16
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 2075 मौजा गुड़ामालानी	प्रदर्श—17

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
सुगणा पुत्री उदाराम	हरिजन	गुड़ामालानी	पी0डब्ल्यू—1
महिपाल पुत्र उदाराम	हरिजन	गुड़ामालानी	पी0डब्ल्यू—2

6. प्रकरण में सुगणा पुत्री उदाराम पी.डब्ल्यू.—01 एवं महिपाल पुत्र उदाराम पी. डब्ल्यू—02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

- कि मुतनाजा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पूर्वज रावता की खातेदारी आराजी थी। वादीगण की उक्त पैतृक कब्जे काश्त की आराजी में वादीगण द्वारा 7/128 हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी होने के कारण उक्त वाद पेश किया गया है। वर्तमान में उक्त आराजी पर वादीगण काबिज काश्त हैं।
- कि जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त ग्राम गुड़ा खाता संख्या 362 प्रदर्श–01, जमाबंदी खाता संख्या 363 सम्वंत 2038–2041 प्रदर्श–02, जमाबंदी खाता संख्या 162 सम्वंत 2043–2046 प्रदर्श–03, जमाबंदी खाता संख्या 586 सम्वंत 2031–2034 प्रदर्श–04, जमाबंदी खाता संख्या 119 सम्वंत 2047–2050 प्रदर्श–05, जमाबंदी खाता संख्या 338 सम्वंत 2051–2054 प्रदर्श–06, जमाबंदी खाता संख्या 363 सम्वंत 2043–2047 प्रदर्श–07, जमाबंदी खाता संख्या 355 सम्वंत 2038–2041 प्रदर्श–08, जमाबंदी खाता संख्या 08 सम्वंत 2068–2071 प्रदर्श–09, जमाबंदी खाता संख्या 140 सम्वंत 2059–2062 प्रदर्श–10, जमाबंदी खाता संख्या 19 सम्वंत 2064–2067 प्रदर्श–11, जमाबंदी खाता संख्या 563 सम्वंत 2027–2030 प्रदर्श–12, जमाबंदी खाता संख्या 524 सम्वंत 2019–2021 प्रदर्श–13, जमाबंदी खाता संख्या 539 सम्वंत 2023–2026 प्रदर्श–14, जमाबंदी खाता संख्या 224 सम्वंत 2072–2076 प्रदर्श–15, नामांतरकरण संख्या 703 मौजा गुड़ामालानी प्रदर्श–16, नामांतरकरण संख्या 2075 मौजा गुड़ामालानी प्रदर्श–17 है। उपरोक्त बेचान के मार्फत वादीगण के हक की भूमि गलत रूप से बेची गई है। जिस पर वादीगण का कब्जा है।

7. प्रकरण में सुगणा पुत्री उदाराम पी.डब्ल्यू.–01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मेरे पिता का उदाराम नाम है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं सिणधरी रहती हूँ। मेरा जन्म सिणधरी में ही हुआ है। मुझे मेरी जन्म तारिख याद नही है। मेरी शादी हो चूकी है। मेरा सुसराल कारलू भीनमाल है। मे मेरे सुसराल कारलू मे ही रहती हूँ। मैं खेती नही करती हूँ। न ही मेरे काश्त की जमीन है। हम सात भाई बहन है। मेरे पिता बैठे है। हमारे घर के मुख्या खानदान कर्ता मेरे पिताजी थे। हमारे घर में जो भी पिताजी निर्णय करते थे वह हमे मान्य थी। हमारे घर मे कमाने वाले हमारे पिताजी ही थे। हमारे घर किसी वस्तु कि जरूरत होने पर हमारे पिताजी पैसे की व्यस्था कर वस्तु लाते थे वह लाते है। जो वादग्रस्त आराजी के बैचान से रूपये प्राप्त हुऐ वह हमारे परिवार के लिए उपयोग में लिये है। जिसका बैचान परिवार कि जायज जरूरत होने पर किया है।

8. प्रकरण में महिपाल पुत्र उदाराम पी.डब्ल्यू–02 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि मेरे पिता का उदाराम नाम है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं सिणधरी रहता हूँ। मेरा जन्म सिणधरी में ही हुआ है। मुझे मेरी जन्म तारिख याद नही है। मेरी शादी हो चूकी है। मेरा सुसराल नगर में है। मैं खेती नहीं करता हूँ। न ही मेरे काश्त की जमीन है। हम सात भाई बहन है। हमारे घर के मुख्या खानदान कर्ता मेरे पिताजी थे। हमारे घर में जो भी पिताजी निर्णय करते थे वह हमे मान्य थी। हमारे घर मे कमाने वाले हमारे पिताजी ही थे। हमारे घर किसी वस्तु कि जरूरत होने पर हमारे पिताजी पैसे की व्यस्था कर वस्तु लाते थे वह लाते है। जो वादग्रस्त आराजी मेरे पिता द्वारा हमारी सहमती से बैचान किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

उसकी रजिस्ट्री कब करवाई वो मुझे पता नही है। जो रूपये प्राप्त हुऐ वह हमारे परिवार के लिए उपयोग में लिये है। जिसका बैचान परिवार कि जायज जरूरत होने पर किया है।

9. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः–

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
बयनामा	पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011	प्रदर्श डी–01

10. प्रकरण में प्रतिवादीगण साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
रामाराम पुत्र मकाराम	गुरू	सिंधासवा चौहान	डी0 डब्ल्यू–1

11. प्रकरण में रामाराम पुत्र मकाराम डी0डब्ल्यू0–01 द्वारा चीफ प्रस्तुत कर कथन किया–

- कि हम भाईयों रामाराम ईसराराम सवाराम मोहनलाल व समदा पत्नी लालाराम, हरिया पत्नी नरसीराम ने संयुक्त रूप से वादीगण के पिता से दिनांक 08.07.2011 को ग्राम गुडामालानी के खसरा नंबर 1784 व 1786 कुल रकबा 37.13 बीघा की भूमि रूपये 7 लाख 50 हजार अदा कर क्रय की। वक्त रजिस्ट्री बेचान कर्ताओं ने कब्जा हमें सुपुर्द कर दिया। तब से काबिज होकर हम खरीददार साल दर साल काश्त कर रहे हैं। वादीगण के परिवार की सहमति से वादीगण के कहे अनुसार वादीगण के घर का प्रतिवादी संख्या 01 के घर का खानदान मुख्यकर्ता उदाराम द्वारा बेचान किया गया। वादीगण के परिवार को रूपयों की विधिक आवश्यकता होने से हमें भूमि का बेचान किया। वादीगण ने झूठा दावा पेश किया है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। वादीगण का वाद खारिज किया जावे। मैंने मेरे जबाब में प्रदर्श डी–01 बेचान दस्तावेज संख्या 2011001779 प्रदर्शित करवाई है।

12. प्रकरण में रामाराम पुत्र मकाराम डी0डब्ल्यू0–01 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि यह कहना गलत है कि बेचान के वक्त हमें कब्जा नहीं दिया हो। यह बात गलत है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा हो। यह बात गलत है कि बेचानकर्ताओं ने परिवार से चुपके–चुपके भूमि का बेचान किया हो। यह कहना गलत है कि इस जमीन में हमारा स्वामित्व नहीं हो।

13. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा निम्न प्रकार निवेदन कियाः–

- कि आराजी खसरा संख्या 1786 रकबा 5.6251 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पूर्वज रावता पुत्र भूपा के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पूर्वज रावता के दो पुत्र वागाराम पुत्र रावता व खगाराम पुत्र रावता थे। खगा पुत्र रावता के फौत होने पर उनके चार वारिस उदाराम पुत्र खगा, ओमप्रकाश पुत्र खगा, अणदेश पुत्र खगा एवं वासूदेव पुत्र खगा हैं। उदाराम पुत्र खगा के तीन पुत्र भरत पुत्र उदाराम, महिपाल पुत्र उदाराम, जोधा पुत्र उदाराम एवं चार पुत्रियां अनीता पुत्री उदाराम, शौभा पुत्री उदाराम, सुगणा पुत्री उदाराम एवं पूजा पुत्री उदाराम वारिस हैं।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 अपने पूर्वज रावता पुत्र भूपा के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। इस स्थिति में उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 उदाराम पुत्र खगा के 1/4 हिस्से में प्रत्येक वादीगण संख्या 01 से 05 का 1/128–1/128 हिस्सा कानूनन निहित है।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का 1/6 हिस्सा कानूनन निहित होकर खातेदारी में बदस्तूर दर्ज रिकार्ड जारी है। उक्त हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का मौके पर कब्जा काश्त जारी है।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 08.07.2011 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। उक्त बयनामा दिनांक 08.07.2011 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 08.07.2011 से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 08.07.2011 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस आधार पर वादीगण अपने हिस्से की पैतृक भूमि में घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के अपने पूर्वज रावता के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस कारण उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 08.07.2011 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु आमदा है। प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण अवैध रूप से कब्जा प्राप्ति के कारण प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का कब्जा अतिक्रमण माना जाकर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को अतिक्रमी माना जाएगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

- कि बयनामा दिनांक 08.07.2011 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 08.07.2011 से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 08.07.2011 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा दिनांक 08.07.2011 के आधार पर फैसल किये गये नामांतरकरण संख्या 2075 दिनांक 20.07.2011 को निरस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतू आमदा है। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के विरूद्ध वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 08.07.2011 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इस कारण प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु आमादा है। इस प्रकार वादीगण को उक्त दावा हेतु बिनायदावा उत्पन्न हुआ है।
- कि वादीगण के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित है:–
    1. उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 उदाराम पुत्र खगा के 1/4 हिस्से में प्रत्येक वादीगण संख्या 01 से 04 का 1/80–1/80 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।
    2. प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 08.07.2011 वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा दिनांक 08.07.2011 के आधार पर फैसल किये गये नामांतरकरण संख्या 2075 दिनांक 20.07.2011 को निरस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 08.07.2011 का नाम कलमजन किया जावे।
    3. वादीगण के हिस्सों के अतिरिक्त प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिस्से की भूमि का वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या 01 के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के अजनबी क्रेता से पहले खरीदने का अधिकारी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को स्थायी निषेधाज्ञा के मार्फत निर्देश दिया जावे कि प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 उक्त हिस्से की आराजी का बेचान वादीगण के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाये।
    4. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
    5. वादीगण को प्रतिवादीगण से वाद का खर्चा दिलवाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

14. पत्रावली पर दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौरान–ए–बहस बहस निम्न प्रकार निवेदन कियाः–

- कि वादीगण के रावता पुत्र भूपा के वारिस होने की जानकारी नहीं होने के कारण वादीगण का रावता पुत्र भूपा के वारिस का कथन अस्वीकार है। साथ ही उक्त कथन को वादीगण स्वयं साबित करे।
- कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 08.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष मे किया गया है। उक्त बेचान के आधार पर नामांतरण संख्या 2075 दिनांक 20.07.2011 को स्वीकृत किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया। तत्समय से प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 मौके पर काबिज काश्त है। इस कारण वादीगण का उक्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं है।
- कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 08.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष मे किया गया है। अपने परिवार के कर्ता होने के तहत प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी आराजी को बेचान करने की विधिक अधिकारिता प्राप्त थी। अपने परिवार के कर्ता होने के तहत प्रतिवादी संख्या 1 को अपने परिवार के हित में समस्त प्रकार के निर्णय लेने का विधिक अधिकार प्राप्त है। उक्त विधिक अधिकारिता के तहत ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को उक्त आराजी का बेचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया है। इस प्रकार उक्त बेचान के विधिसम्मत होने के कारण वादीगण को उक्त बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने का अधिकार नहीं है। क्योकिं हिन्दू सहदायकी के रूप में परिवार के कर्ता द्वारा यदि परिवार के हितों के निमित किसी संपति का बेचान किया जाता है तो उस बेचान को किसी भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने 1/4 हिस्से की भूमि का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बेचान दिनांक 08.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष मे किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को उक्त आराजी का विधिसम्मत बेचान किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का कब्जा एवं स्वामित्व विधिसम्मत होने के कारण वादीगण को प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का कब्जा हटाने, बेदखल करने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
- कि वादीगण को उदाराम पुत्र खगा के जीवन काल तक मुतनाजा आराजी पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का सहदायी होने का दावा काबिल–ए–खारिज है।
- कि मुतनाजा आराजी की बढती हुई कीमतों के कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी भूमि का बेचान किये जाने के पश्चात येनकेन प्रकरेण मुतनाजा आराजी को वापस प्राप्त करने हेतु स्वार्थपूर्ण तरीके से उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है।
- कि वादी को उक्त दावा लाने का कोई कारण उत्पन्न नही होने के कारण वादीगण का दावा काबिल–ए–खारिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को उक्त आराजी का विधिसम्मत बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। विवादित बेचान बाबत् उक्त अनुतोष पर सिर्फ दीवानी न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस बाबत् राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार व अधिकारिता नहीं है।
- इस प्रकार वादीगण को इस दावा के जरिये किसी भी प्रकार के विधिक अनुतोष या किसी अन्य प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा काबिल–ए–खारिज है।

15. मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

16. अब प्रकरण का अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम प्रथम अनुतोष के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैः–

    1. *उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 उदाराम के 1/4 हिस्से में प्रत्येक वादीगण संख्या 01 से 04 का 1/128–1/128 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।*

17. प्रथम अनुतोष को साबित करने का भार वादी के उपर है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रथम अनुतोष सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–06 से संबंधित है। उक्त अनुतोष के अवलोकन से अनुतोष में समाहित अनेक पक्ष व बिंदु सामने आते है। अतः उक्त अनुतोष का निर्णयन किये जाने से पूर्व अनुतोष में समाहित अनेक निम्न पक्ष व बिंदुओं का निर्धारण किया जाना अपेक्षित हैः–

    1. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होना।*
    2. *मुतनाजा आराजी का पैतृक संपति होना।*
    3. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–06 के तहत सहदायक होना।*
    4. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–06 के तहत सहदायक होने के आधार पर अधिकार निहित होना।*
    5. *प्रतिवादी संख्या 01 का अपने परिवार के कर्ता/मुखिया होना।*
    6. *प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बेचान दिनांक* 08.07.2011 *विधिक आवश्यकताओं के लिए किया गया होना।*

18. प्रकरण में प्रथम अनुतोष के विश्लेषण से पूर्व हिन्दू उतराधिकार से संबंधित संकल्पनाओं व कानून के निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हैः–

    1. *हिन्दू संयुक्त परिवार एवं संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    2. *पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

3. *सहदायिकी एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
4. *सहदायिकी संपति में सहदायक के अधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की संकल्पना/अवधारणा।*
6. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
7. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा।*
8. *सहदायिकी संपति के अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा।*
9. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण किये जाने पर क्रेता के कर्तव्य की संकल्पना/अवधारणा।*
10. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण के विरूद्व सहदायक को उपलब्ध विकल्प/उपचार की संकल्पना/अवधारणा।*

19. प्रकरण में सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी परिवार के सदस्य का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी पुरूष, उनकी पत्नियां, माताएं एवं अविवाहित पुत्री शामिल होती है।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल अविवाहित पुत्री का विवाह होते ही वह पति के संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य बनकर शामिल हो जाती है तथा पिता के संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग हो जाती है।*
4. *हिन्दू विधि में बिना संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति के भी संयुक्त हिन्दू परिवार अस्तित्व में आ सकता है।*
5. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के आधार पर एकता में बंधे रहते है।*
6. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के साथ—साथ भोजन एवं पूजा में भी एकता में बंधे रहते है।*
7. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में संयुक्त हिन्दू परिवार का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
8. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
9. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में परिवार के अंत को रोकने हेतु*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर परिवार को आगे बढाया जा सकता है।

10. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति पर एक का कब्जा सभी का कब्जा माना जाता है। इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार में संपति पर कब्जे के आधार पर एकता रहती है।*
11. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में से कोई सदस्य कभी भी विभाजन करवाकर पृथक हो सकता है। इस प्रकार सदस्य के पृथक होने पर वह संपति संयुक्त हिन्दू परिवार की नहीं रहती है।*
12. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। जिनका पृथक अस्तित्व नहीं होता है परंतु छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई अपना प्रबंधन पृथक करती हैं।*

20. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादीगण द्वारा सजरा प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिन्दू होने के कारण सभी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पूर्वज रावता के दो पुत्र वागाराम पुत्र रावता व खगाराम पुत्र रावता थे। खगा पुत्र रावता के फौत होने पर उनके चार वारिस उदाराम पुत्र खगा, ओमप्रकाश पुत्र खगा, अणदेश पुत्र खगा एवं वासूदेव पुत्र खगा हैं। उदाराम पुत्र खगा के तीन पुत्र भरत पुत्र उदाराम, महिपाल पुत्र उदाराम, जोधा पुत्र उदाराम एवं चार पुत्रियां अनीता पुत्री उदाराम, शौभा पुत्री उदाराम, सुगणा पुत्री उदाराम एवं पूजा पुत्री उदाराम वारिस हैं। साथ ही इस संबंध में सुगणा पुत्री उदाराम पी.डब्ल्यू.–01 एवं महिपाल पुत्र उदाराम पी.डब्ल्यू–02 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में हलफनामा प्रस्तुत किया है।

21. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में वादीगण के रावताराम पुत्र भूपा के वारिस होने की जानकारी नहीं होने के कारण वादीगण का रावताराम पुत्र भूपा के वारिस का कथन अस्वीकार किया है। इस संबंध में रामाराम पुत्र मकाराम डी0डब्ल्यू0–01 द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विशेष व स्पष्ट खंडन नहीं किया है।

22. इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में वादी द्वारा सजरा प्रस्तुत किये जाने व साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 द्वारा स्पष्ट खंडन नहीं करने तथा सुगणा पुत्री उदाराम पी.डब्ल्यू.–01 एवं महिपाल पुत्र उदाराम पी.डब्ल्यू–02 के प्रतिपरीक्षण में वादीगण व

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विरोधस्वरूप अभिकथन स्पष्ट नहीं होने के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई के पृथक–पृथक कर्ता हो सकते है। प्रकरण में रावता पुत्र भूपा का परिवार एक लघुतर ईकाई का निर्माण करते है। इसी प्रकार खगा पुत्र रावता का परिवार भी एक लघुतर ईकाई का निर्माण करते है। इसी प्रकार उदाराम पुत्र खगा का परिवार भी एक लघुतर ईकाई का निर्माण करते है। उक्त तीनों लघुतर ईकाईयों को शामिल करते हुए एक वृहत संयुक्त हिन्दू परिवार का निर्माण होता है। अतः अब प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य मानने के पश्चात विवादित आराजी के सहदायिकी संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

23. इस प्रकार सहदायिकी संपति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव है:–

1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।

4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

24. हिन्दु विधि में सहदायिकी संपति में पैतृक आराजी, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक संपति एवं पैतृक संपति से उत्पन्न आय से हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा क्रय की गई संपति शामिल होती है। सहदायिकी संपति की वृहत संकल्पना के निम्न अवयव होते हैः–

1. *सहदायिकी या हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी अनिवार्य रूप से सहदायक संपति में निहित रहती है।*
2. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की स्वअर्जित संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
3. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को अन्य स्रोत यथा–वसीयत, दान व पैतृक आराजी के अतिरिक्त विरासत से प्राप्त संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की पृथक संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
4. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति से उत्पन्न आय से खरीद की गई संपति आवश्यक रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*
5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति को नुकसान पहुचाते हुए किसी सदस्य द्वारा खरीद की गई संपति अनिवार्य रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

25. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 की पैतृक संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

26. साथ ही विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 की संपति प्राप्तकर्ता रावताराम पुत्र भूपा के वारिसान वादीगण है। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति प्रतिवादी संख्या 01 के द्वितीय पीढी के पुरूष पुर्वज से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त संपति को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के रूप में धारित किया जा रहा हैं। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति प्रतिवादी संख्या 01 के द्वितीय पीढी के पुरूष पुर्वज से विरासत में प्राप्त होने के कारण उपरोक्त विश्लेषित चतुर्थ परिस्थिति के समान होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 की पैतृक संपति मानना विधिसंगत है।

27. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य मानने के पश्चात विवादित आराजी के सहदायिकी संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इससे पहले प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव है:—

1. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में सभी सदस्यों का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूष शामिल होते है।*
3. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम—2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है।*
4. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूषों का जन्म से ही अधिकार निहित हो जाता है।*
5. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र का पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र का पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में कोई सहदायक बिना विभाजन करवाये अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।*
7. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान स्वामित्व माना जाता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

8. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान कब्जा माना जाता है।*
9. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में कोई सहदायक बिना अन्य सहदायकों की सहमति के बिना कोई विधिक आवश्यकता के अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।*
10. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में सहदायक की मृत्यु पर सभी सहदायकों का हिस्सा बढ जाता है। इसी प्रकार सहदायिकी संपति में सहदायक के जन्म पर सभी सहदायकों का हिस्सा घट जाता है। इस प्रकार सहदायिकी संपति में किसी भी सहदायक का हिस्सा निश्चित नहीं होकर सहदायिकी में सदस्यों के जुड़ने व हटने पर परिवर्तित होता रहता है।*
11. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में किसी एक सहदायक द्वारा अपना अधिकार/हक त्यागने पर बाकी अन्य सहदायकों के पक्ष में समान अधिकार सृजन माना जाता है।*
12. *हिन्दू विधि में सहदायिकी विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में सहदायिकी का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
13. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
14. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में सहदायिकी के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर सहदायिकी को आगे बढाया जा सकता है।*

28. अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 उक्त सहदायिकी में सहदायक होना स्पष्ट है।

29. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार तथा सहदायिकी की इकाई तथा संबंधित ईकाई द्वारा धारित हिन्दू संयुक्त परिवार संपति व सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्त्ता की कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई हैः—
    1. *अगर पिता जीवित है तो पिता हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    2. *अगर पिता जीवित नहीं है तो परिवार का वरिष्ठ सदस्य हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

3. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई के पृथक–पृथक कर्ता हो सकते है।*
4. *हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता पर अन्य सदस्यों से विशिष्ट स्थिति रखता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता को संयुक्त परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा कर संयुक्त परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।*

30. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति का अंतरण नहीं कर सकता है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः–*
    - *आपातकालेः– विधिक आवश्यकतार्थ।*
    - *कुटुम्बार्थेः– परिवार के हितार्थ।*
    - *धर्मार्थेः– पवित्र उद्देश्य हेतु।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत किये गए अंतरण से सभी सहदायक बाध्य होते है।*

31. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के नाबालिक सहदायक के संबंध में प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति का अंतरण कर सकता है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।

3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की अनुपस्थिति में संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया/संरक्षक द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*

32. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति में कर्ता के अधिकार की अवधारणा से प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में उदाराम पुत्र खगा के परिवार की एक लघुतर ईकाई का कर्ता परिवार का पिता स्वयं उदाराम है। इस संबंध में वादीगण उदाराम पुत्र खगा के अपने परिवार के कर्ता नहीं होने के संबंध में कोई खंडन नहीं करते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए है। इस आधार पर उदाराम पुत्र खगा के अपने लघुतर पारिवारिक ईकाई के कर्ता माना जाना उचित प्रतीत होता है।

33. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
   - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
   - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
   - *धर्मार्थेः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*

34. प्रकरण में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के विधिक आवश्यकता के तहत परिवार के लाभ हेतु संपति का बेचान द्वारा के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरूष के समान होना आवश्यक है।*
4. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।*

35. प्रकरण सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के तहत सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है।*
3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार/दायित्व क्रेता के उपर होता है।*
4. *सहदायिकी संपति को पूर्ववर्ती ऋण हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*
5. *सहदायिकी संपति को परिवार या सहदायिकी संपति के लाभ या निवेश हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।

36. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ* अंतरण कर सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपति के प्रबंधन/अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरूद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प/उपचार उपलब्ध है।

37. हिन्दू विधि की उक्त स्पष्ट स्थिति के आलोक में प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को किया गया अंतरण अपने हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में निष्पादित किया गया है। अब प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को किया गया अंतरण का विधिक आवश्यकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

38. इसी प्रकार डी0डब्ल्यू0—01 के शपथ—पत्र व साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के अवलोकन व मनन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 उदाराम ने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पैतृक आराजी को बेचने का निर्णय लिया। तत्पश्चात पड़ोसी गांव सिंधासवा चौहान के निवासी प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को उक्त आराजी संपति को बेचने की पेशकश की। उक्त अंतरण का सौदा घर पर हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को घर पर मुतनाजा आराजी के अंतरण के सौदे के समय हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता उदाराम पुत्र खगा को उक्त अंतरण हेतु विधिक आवश्यकता की जानकारी होने पर ही तथा स्वयं उदाराम पुत्र खगा द्वारा संपति का अंतरण करने की पेशकश करने पर उक्त संपति के अंतरण हेतु विधिक आवशकता की जानकारी होना प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व की गई जानकारी के संबंध में किये गये उक्त कार्यकरण से प्रतीत होता है कि मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में जानकारी कर अपने उपर आरोपित दायित्व को पूर्ण किया है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 द्वारा संपति के अंतरण में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व का निर्वहन किया जाना साबित करने में सफल रहा है।

39. इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 द्वारा मुतनाजा आराजी का परिवार की विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 पर बाध्यकारी है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 को वादीगण साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

40. इस संबंध में द्वितीय अनुतोष के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय अनुतोष निम्न प्रकार हैः—

2. प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 08.07.2011 वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में बयनामा दिनांक 08.07.2011 के आधार पर फैसल किये गये नामांतरकरण संख्या 2075 दिनांक 20.07.2011 को निरस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 08.07.2011 का नाम कलमजन किया जावे।

41. द्वितीय अनुतोष को साबित करने का भार वादी के उपर है। अनुतोष संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 द्वारा किये गये अंतरण को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने को लेकर है। प्रकरण में अनुतोष के विश्लेषण से पूर्व पंजीकृत दस्तावेज के शून्यकरणीय व आरंभ से शून्य होने तथा राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर विधि की स्थिति को समझना आवश्यक है।

42. किसी विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार निहित होने व विवादित संपति का पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अंतरण किए जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मध्य संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कानूनन स्थिति स्पष्ट की गई हैः—

1. पंजीकृत दस्तावेज के आरंभ से शून्य होने की स्थिति में राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पंजीकृत दस्तावेज के शून्यकरणीय होने की स्थिति में केवल सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।

2. अगर वादपत्र में विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का मुख्य अनुतोष है तथा अन्य अनुतोष आनुषांगिक है उस स्थिति में केवल सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।

3. अगर वादपत्र में विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा का अनुतोष मुख्य अनुतोष है तथा विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

करवाने का आनुषांगिक अनुतोष है उस स्थिति में केवल राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।

43. इसी प्रकार विवादित संपति का पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अंतरण किए जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मध्य संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कानूनन स्थिति स्पष्ट की गई है:–

    1. राजस्व न्यायालय से विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात ही विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

44. इस संबंध में विधि की स्पष्ट स्थिति के अनुसार राजस्व न्यायालय उक्त अनुतोष को प्रदान करने में सक्षम है। परंतु प्रकरण में अनुतोष संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध साबित होने के कारण वादीगण पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने में असफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 01 वादीगण के विपरीत साबित होने के कारण परिणामस्वरूप अनुतोष संख्या 02 वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

45. अब इस संबंध में तृतीय अनुतोष के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में अनुतोष निम्न प्रकार है:–

    3. वादीगण के हिस्सों के अतिरिक्त प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिस्से की भूमि का वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या 01 के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के अजनबी क्रेता से पहले खरीदने का अधिकारी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 को स्थायी निषेधाज्ञा के मार्फत निर्देश दिया जावे कि प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 उक्त हिस्से की आराजी का बेचान वादीगण के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाये।

46. उक्त अनुतोष को साबित करने का भार वादी के उपर है। परंतु प्रकरण में अनुतोष संख्या 01 व 02 वादीगण के विरूद्ध साबित होने के कारण वादीगण पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने में असफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 01 व 02 वादीगण के विपरीत साबित होने के कारण परिणामस्वरूप अनुतोष संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

47. निष्कर्षतः पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए सहदायिकी संपति का अंतरण किये जाने को उचित एवं विधिसंगत मानना न्यायालय उचित समझता है। इस आधार पर वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति के अंतरण से वादीगण को बाध्य होना न्यायालय उचित समझता है। इस आधार पर वादीगण का पंजीकृत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

बयनामा दिनांक 08.07.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में वादीगण का कोई हक न्यायालय नहीं पाता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में वादीगण का कोई हक नहीं होने तथा वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति के अंतरण से वादीगण को बाध्य होने के कारण वादीगण का दावा खारिज किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 10.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023/184(65/2023) दर्ज तिथिः–15.06.2023

1. अनिता पुत्री उदाराम पत्नी प्रकाश
   जाति हरिज निवासी भीनमाल जिला जालोर
2. शौभा पुत्री उदाराम पत्नी विनोद
   जाति हरिजन निवासी मुंगड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3. सुगणा पुत्री उदाराम पत्नी शम्भूराम
   जाति हरिजन निवासी कारलू तहसील भीनमाल जिला जालोर
4. भरत पुत्र उदाराम
5. महिपाल पुत्र उदाराम
6. जोधाराम पुत्र उदाराम
7. पूजा पुत्री उदाराम
   जाति हरीजन निवासी सिणधरी चौसीरा हाल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..............................वादीगण

बनाम

1. उदाराम पुत्र खगा
   जाति हरीजन निवासी सिणधरी चौसीरा हाल गुड़ामालानी
2. ईसराराम पुत्र मकाराम
3. मोहनलाल पुत्र मकाराम
4. रामाराम पुत्र मकाराम
5. सवाराम पुत्र मकाराम
6. समदा पत्नी लालाराम
7. हरियो पत्नी नरसीराम
   जाति गुरड़ा साकिन सिन्धासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री हरिश चौधरी
प्रतिवादी संख्याः–श्री डालुराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में वादीगण का कोई हक नहीं होने तथा वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.07.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति के अंतरण से वादीगण को बाध्य होने के कारण वादीगण का दावा खारिज किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी न्यायालय
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:46 IST
Reason: SelfAttested